भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2885
बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

2885 श्री जोस के. मणिः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में सहकारी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में उतार-चढ़ाव के कारणों का आकलन किया है;
(ख) क्या वर्ष 2022-25 के दौरान निधि के कम उपयोग या पुनर्आवंटन के मामले हुए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;
(ग) बजट संबंधी उक्त उतार-चढ़ाव का, मंत्रालय के अधीन 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) की स्थापना और अन्य योजनाओं सहित प्रमुख सहकारी पहलों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
(घ) सहकारी क्षेत्र के लिए, इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सुसंगत और प्रभावी वित्तीय नियोजन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) वर्ष 2022-23 से ही सहकारिता मंत्रालय का अपना पृथक बजट है और उसके बाद से बिना किसी उतार-चढ़ाव के प्रत्येक वर्ष बजट आबंटन में वृद्धि हुई है ।

(ख) अल्प-उपयोग के कुछ कारण रहे हैं जैसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना, तकनीकी कारणों से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की निधि प्राप्त करने के लिए तैयार न होना, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा कुछ क्षेत्रों में प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने में अनुपालन न होने के फलस्वरूप निधि का पुन: आबंटन किया गया ।

(ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में, विगत 3 वर्षों से बजट आबंटन में नियमित वृद्धि हुई है जिससे प्रमुख सहकारी पहलों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय को समर्थ बनाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

(घ) सहकारिता मंत्रालय व्यय की नियमित निगरानी के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जा सके । निधि का निष्क्रिय पड़ा रहने को कम करने और प्रभावशाली वित्तीय नियोजन के लिए बजटीय प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने तथा भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में तिमाही आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्यों, आदि के साथ अप्रयुक्त शेष राशि की निगरानी करना, 'जस्ट इन टाइम' नियम के अनुसार निधि जारी करना है ।

*****